कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री निर्मल कुमार सैनी निवासी–Q.No.-302, type-3,ESIC, Hospital, M.I.A.,Desula, Alwar 301030

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलेक्टर, दौसा वगै0

अपील सं0 19/2019

<u>निर्णय</u> दिनांक: 19.06.2019

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलेक्टर, दौसा को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 05.04.2019 को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर वॉछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलेक्टर, दौसा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलेक्टर, दौसा के पत्रांक: आरटीआई/2019/452 दिनांक 27.05.2019 द्वारा अवगत करवाया है कि आवेदक का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनके पत्रांक पत्रांक: आरटीआई/2019/356–358 दिनांक 10.04.2019 द्वारा आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत तहसीलदार बसवा को स्थानान्तरित किया गया। किन्तु उसके पश्चात भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना/नकल उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र की सूचना संबंधित व्यक्ति को 30 दिवस की समयावधि में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बसवा को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को वॉछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावें। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official